संपादक मण्डल

दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव
आनंद कुमार तिवारी, उपसचिव
श्रीमती पूनम तिवारी
जिला विधिक सहायता अधिकारी

सहयोग

श्री अमृतलाल पटेल, सहायक ग्रेड-3
श्री वीर सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3
श्री सचिन गोस्वामी, सहायक ग्रेड-3
श्री अंशुल पटेल, सहायक ग्रेड-3
श्रीमती भारती पाशी, सहायक ग्रेड-3
श्री जफर इकबाल, सहायक ग्रेड-3

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
C-2, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 (M.P.)
Phone: 0761-2678352, 2624131, Fax: 2678537
email : mplsajab@nic.in website: mpslsa.nic.in

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWS LETTER

मेरे सपनों का भारत

May to December 2015

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

"M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
"Mediation Report for the Month of May-Dec 15"

S.No.	Month	Opening balance of month	No. of cases referred during th month	Total No. of cases	Successful settled cases	Successful settled cases	Total Considered Cases	Total No. of Pending cases	Percentage of successful settled cases
1	May15	5,864	1,732	7, 569	306	1,292	1,598	5,998	19.15
2	Jun 15	5,998	2,449	8,447	592	1,388	1,980	6,467	29.90
3	Jul 15	6,467	3,738	10,205	936	1,872	2,808	7,397	33.33
4	Aug 15	7,397	3,558	10,955	960	2,429	3,389	7,566	28.33
5	Sep 15	7,566	5,172	12,738	1,452	2,507	3,959	8,779	36.68
6	Oct 15	8,779	6,618	15,397	2,271	2,806	5,077	10,320	44.73
7	Nov 15	10,320	5,563	15,883	1,937	2,771	4,708	11,175	41.14
8	Dec 15	11,175	6,155	17,330	2,847	3,587	6445	10,885	44.17
	Total -	**63,566**	**34,985**	**98,551**	**11,301**	**18,652**	**29,964**	**68587**	**3772**

Scheme for legal services to disaster victims through legal services

Session	Core Group	Total Benefitted Persons
May to Dec 2015	50	0

NLSA (Legal services to Mentally ill person and persons with mental disabilities) Scheme 2010

Session	Total Benefitted Persons
May to Dec 2015	04

Established legal aid clinic in Juvenile Justice Board

Session	Juvenile Justice Board (Legal aid Clinic)
May to Dec 2015	46

NALSA (LEGAL SERVICES TO THE WORKERS IN THE UNORGANIZED SECTOR) SCHEME 2010 PROGRESS:

Session	Resisted Unorganized worker in District	Benefitted persons under Govt. welfare plan	Total Camp	Benefitted persons under Camp	Benefitted Persons under Legal Advice/Aid
May to Dec 2015	152126	43656	63	3698	1413

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
Progress Report of Legal Literacy & Awareness Camps (May to Dec 2015)

Type of Camps	Total camps held on	Total no. of Persons Benefitted	No. of Persons Benefitted		Total Expenditure
			ST	SC	
Camp	2648	281912	27780	20609	113582
Micro Legal Literacy Camp	234	24118	3436	2871	17650
MGNREGA Camp	132	5714	770	927	0

विधिक सहायता/सलाह स्वीकृत प्रकरणों की संख्या (मई 15—दिसंबर 15)

	अनु0 जाति				अनु0 ज.जा.				पिछड़ा				सामान्य				कुल व्यय
	पु0	म0	ब0	कुल योग	पु0	म0	ब0	कुल योग	पु0	म0	ब0	कुल योग	पु0	म0	ब0	कुल योग	
विधिक सहायता	1594	427	257	**2278**	1485	238	191	**1914**	2591	605	368	**3564**	2181	655	303	**3139**	**4364623**
विधिक सलाह	6044	3043	323	**9410**	6556	3368	407	**10331**	9751	4636	759	**15146**	7689	3435	463	**11587**	**0**
कुल योग	**7638**	**3470**	**580**	**11688**	**8041**	**3606**	**598**	**12245**	**12342**	**5241**	**1127**	**18710**	**9870**	**4090**	**766**	**14726**	**4364623**

MADHYA PRADESH, STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
Disposals and Beneficiaries under various Lok Adalats
Financial Year 2015-16 (Report from May 2015 to December 2015)

S. No.	Types of Lok Adalat	No.of Lok Adalat Held on	Total Taken Up Cases	Total Disposed off Cases	Total Benefited Person	Total Settlement amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Annual National Lok Adalat (for all matters held on dt. 12 Dec.15)	1	3868150	2943278	10214293	20889376053
2	Monthly National Lok Adalat (for Special Subject/Matter held on during the month May.15 to Oct.15)	5	697013	226430	339645	1919463475
2	Permanent and Continuous Lok Adalat (u/s 19)	934	125636	54431	67193	504834185
3	Permanent Lok Adalat for Public Utilities Services (u/s 22 B)	153	4854	326	632	-
4	MNREGA Lok Adalat	39	99	99	125	-
5	Jail Lok Adalat	13	32	27	36	-
6	Mobile/Field Lok Adalat (held on Sep. 2015)	3	131	69	139	-
8	Cases settled through Plea-Bargaining	-	179	153	268	-
	Total	**1148**	**4696094**	**3224813**	**10622331**	**23313673713**

The Concept of Mediation

In the complexities of modern life style, the litigants want a decision as early as possible. Courts and Tribunals are over burdened in spite of formation of adjudicatory Tribunals, Family Courts, Human Rights Commission, Women Commission and other institutions. The plight of delaying in Courts still persists defeating the cause of justice.

The legislature observing the aforesaid situations was keen to amend the procedural law, thereby Section 89 of the Code of Civil Procedure was amended w.e.f. 1.7.2002 including mediation as one of the alternative modes of disposing cases. The society is required to adopt such a procedure which is more suited for a particular type of dispute. It may be arbitration or conciliation or mediation or Lok Adalat. However, the object of mediation is to propose the litigants to arrive at a solution by their own means, willingness and volition ensuring them a speedy and satisfactory alternative dispute resolution process. The benefits in mediation are that it is a negotiated settlement and secondly, settlement in mediation would give the Courts more space to deal with the cases which are required to be adjudicated by the Courts. One of the important aspects to be considered is that all cases cannot be settled through mediation. It is only certain types of civil cases affecting the rights and interest of people in personam. In other words, the cases involving public interest affecting a large number of persons, matters of taxation and administrative law cannot be settled through mediation because it requires adjudication in the Courts. Even in certain civil cases where judicial declaration is necessary, the doors of mediation are not open. So far as criminal cases are concerned, only those petty offences which are compoundable under Section 320 of Code of Criminal Procedure, can be settled through mediation that too only if the litigant parties agree to compromise.

Such cases which do not really require adjudication by trial in Courts and which are fit for negotiated settlements, if are not referred for mediation, then those cases will congest the courts and take up the entire time of the court, thereby preventing courts from taking up cases which require their urgent attention and decision.

Thus, the above elaboration would lead us to a conclusion that mediation is a different process which is suitable and appropriate for resolving certain types of disputes and for other kind of cases including the cases which have been unsuccessful in mediation, the only forum would be the Courts which can provide the remedy.

<u>In the words of Justice R.V.Raveendran, the advantages of Mediation are:</u>

What are the advantages of mediation?

Mediation saves precious time, energy and money of parties, apart from saving them from the harassment and hassles of a prolonged litigation. Its procedure is simple, informal and confidential and reduces worry and tension associated with litigation. Its advantages are:

(1) By disclosing the strengths and weaknesses of their case, mediation enables parties to find and formulate realistic solutions to their conflicts.

(2) Mediation provides an opportunity to communicate with the opposite party, in a neutral non-hostile atmosphere. It attempts to mend and restore strained/broken relationships. It focuses on long-term interests and relationships and fosters amity and friendship.

(3) As the mutually agreeable solution reached by a negotiated settlement is tailor-made for the parties, the solution by mediation can be moulded, shaped, adjusted to suit the requirements of the parties. It gives choices and options in the solution to the conflict. It removes uncertainty and inflexibility from the result.

(4) As mediation is voluntary, a party can opt out any time. The party (and not a Judge or advocate) is always in control of the dispute and its resolution. (This may also be viewed as a disadvantage. Because it is non-binding and non-adjudicatory, the resolution of the dispute purely depends upon the volition of parties).

(5) The process is simple, flexible and confidential. It enables settlement of disputes which are not the subject-matter of legal proceedings. This enables settlement of several connected matters also.

An adjudicatory dispute resolution by means of litigation invariably leads to bitterness, hostility and enmity between the parties to the lis, as the loser will continue to nurture a grievance against the winner. The gloating by the successful party also aggravates the situation. In a civilized society, parties are expected to accept the decision of court with grace,but in reality it seldom happens. The advantage of a negotiated settlement is that at the end of the day, there are no winners or losers and the result is acceptable to all. In short, the adjudicatory process terminates relationship and creates permanent enemies whereas negotiated settlement creates friends.

Thus one of the biggest advantages of mediation in administration of justice is that even if mediation fails between the parties and the matter is placed for adjudication before the Court, it is a common experience that the parties come at ease as they have blown their haste and anguish during the mediation process which helps the Court in smooth conclusion of the case.

Martin Luther King had said " The bank of Justice shall not be bankrupt.This is only possible if we develop effective and efficient mechanism of alternative dispute resolution by setting up of extra mediation centers at all level in the country."

Out of the methods of ADR, mediation and conciliation are the most suited methods for a country like India because by and large people in India at least in the rural areas would like to settle their disputes amicably.

The concept of mediation is not new for the Indian society. In ancient times, the people used to resolve the disputes through conciliation and mediation conducte by the heads and elders of society. The process of mediation was done by persuasions protecting the interest of both the parties. Therefore, the success of "mediation process" in India is bound to happen as the people are in habit of such mediation and will not hesitate to adopt it.

CONCLUSION:

Mediation can be defined as a process to resolve a dispute between two or more parties in the presence of a mutually accepted third party who through confidential discussion attempts to help the parties in reaching a commonly agreed solution to their problems. The biggest advantage of mediation is that the entire process is strictly confidential. Mediation saves time, financial and emotional cost of resolving a dispute, thereby, leads to reestablishment of trust and respect amongst the parties.

Dinesh Kumar Naik
Member Secretary
MPSLSA

Anand Kumar Tiwari
Deputy Secretary
MPSLSA

Glimpses of Regional Conference

Second Regional Conference on Mediation Indore Zone

4th July, 2015

Chief Guest **Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon** Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority inaugurating the conference

Guests and Participants from the Indore Zone

Glimpses of Regional Conference

Third Regional Conference on Mediation Gwalior Zone

25th July, 2015

Chief Guest **Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon** Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority inaugurating the conference

Guests and Participants from the Indore Zone

Report on issues related to Tribals

In the 13th All India Meet of the State Legal Services Authorities held on 21-22 March 2015 at Ranchi on the subject of effective implementation of NALSA with particular emphasis on issues concerning tribes .Hon'ble Mr. Justice T. S. Thakur pointed out that the States of North East, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and part of Andhra Pradesh and Bihar have sizeable tribal populations, about whose concerns nothing much has been done. His lordship felt that NALSA and SLSA's need to look into these issues. Under Agenda Item no. 7 (B) related to issues concerning tribes it was resolved that a committee comprising of Hon'ble Mr. Justice V. N. Sinha, Hon'ble Mr. Justice D. N. Patel, Hon'ble Mr. Justice T. P. Sharma, Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon, Hon'ble Mr. Justice Kostiwar be constituted to examine the issue pertaining to the tribals and the Committee shall submit a report.

MPSLSA, DLSA hold awareness camp for Trans / Third Gender

Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) and District Legal Services Authority (DLSA) on Monday, has jointly conducted a legal literacy and awareness camp for disposal of various problems related to the Eunuchs (Kinnar) community, on Monday. In this camp, Justice Rajendra Menon, Administration Judge of the Madhya Pradesh High Court and Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Member Secretary MPSLSA, Dinesh Kumar Naik, District Judge K.K Pandey, Chief Judicial Official Magistrate, Vikas Chandra Mishra, District Registrar, Tanveer Ahmad, Judicial Magistrate Neeraj Malviya, Deputy Secretary, MPSLSA Anand Kumar Tiwari, Superintendent of Police Jabalpur Dr Ashish, Collector, Dhanraju, District Legal Aid Officers S.P Pandey, Poonam Tiwari, Rajesh Saxena, Pradeep Singh Thakur, Manish Koushik and others were present.

Members of the Eunuchs Community were also present in legal literacy camp, and prayed for disposal of their own problems in camp. Administrative Judge of the Madhya Pradesh High Court and Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Justice Rajendra Menon explained Eunuchs about Supreme Court's order for their welfare. Keeping in view of compliance of the aforementioned orders of the Apex Court informed members about role of MPSLSA. District Administration and State Government said that the Eunuchs were also given Fundamental Rights in the Constitution of India and to ensure protection of their rights the MPSLSA is committed. During the meeting members have raised their six point demands including special identity card for the Kinnar (Eunuchs), Education, insurance, employment in Government Sector, Adhaar, ration health card facilities, conversation of children brought up by the Eunuch Community and to resolve the issues related to the fake people trying to pose as third gender.

Administrative Judge of the Madhya Pradesh High Court and the Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Justice Menon directed the concerned officials to ensure timely settlement of the redressal of problems of this community and asked to initiate efforts for their welfare by communicating to the Chief Secretary and Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan. Additional Collector and Superintendent of Police assured to initiate efforts to resolve problems of Eunuchs community members. Efforts would be made to appoint educated members of the Eunuchs Community as Para Legal Volunteers.

ए.डी.आर. केन्द्र का लोकार्पण

वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों से सुधरेगी न्यायिक व्यवस्था

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (एडीआर) मील का पत्थर साबित होगा। इस केन्द्र के माध्यम से पक्षकारों में सामंजस्य स्थापित कर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिससे न्यायालयों में लंबित अन्य प्रकरणों की समय पर सुनवाई संभव हो सकेगी। यह बात हाईकोर्ट जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मेनन ने शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में निर्मित एडीआर केन्द्र के लोकार्पण करते हुए कही।

न्याय के साथ मिलेंगी सुविधाएं

न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन ने कहा कि न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या अधिक होने के कारण समय पर प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाती। जिससे जनसामान्य का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास क हो रहा है। काम की अधिकता के कारण न्याय में विलंब होता है। वैकल्पिक समाधान केन्द्र के माध्यम से अधिकांश प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के माध्यम से संभव होगा। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार महिला पक्षकारों के साथ आने वाले बच्चों के लिए पालना घर की व्यवस्था भी निकट भविष्य में की जायेगी।

ताकि उजड़े घर आबाद हों

महाधिवक्ता श्री रवीश अग्रवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर काम करती है। यह आवश्यक नहीं कि न्यायिक निर्णय पर दोनों पक्ष सहमत हों किन्तु एडीआर केन्द्र में निर्णय पक्षकारों द्वारा स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। अतः एडीआर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव, सालसा ने कहा कि विवादों का समाधान यदि आपसी सामंजस्य से होता है तो उभयपक्षों के हितों की रक्षा होती है। सुलह के आधार पर निरात प्रकरणों से अनेक उजड़े हुये परिवार पुनः आबाद हो सकेंगे।

नवनिर्मित ए.डी.आर. भवन एवं क्योक्स मशीन का लोकार्पण करते हुये माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन एवं न्यायमूर्ति श्री सी. सिरपुरकर, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा., अधिकारी एवं अधिवक्तागण।

वृहद् विधिक साक्षरता शिविर - जिला मण्डला

मेहगांव विकासखंड के नर्मदा तट पर बसे ग्राम देवगांव संगम में जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष राजेन्द्र मेनन ने कहा कि यह इतिहास रचा जा रहा है।

महाधिवक्ता कार्यालय भारत वर्ष में विधिक साक्षरता के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी सहभागी बन रहा है। लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी सहभागी बन रहा है। लोगों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण भी प्रशासन को सहयोग करेगा। इस अवसर पर महाधिवक्ता रवीश अग्रवाल, अति महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव एवं केएस वाधवा, सचिव दिनेश नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह, कलेक्टर लोकेश जाटव एवं पुलिस अधीक्षक एपी सिंह सहित अन्य न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

श्री राजेन्द्र मेनन ने कहा कि न्यायालय में लड़कर अधिकार पा लेना अलग बात है, किन्तु शासन की योजनाओं से व्यक्ति तभी लाभान्वित हो सकता है, जब वह उन योजनाओं के संबंध में तथा उनके क्रियान्वयन की पूरी जानकारी रखता हो। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में पैरालीगल वालेंटियर्स नियुक्त कर ग्रामीणों को जानकारी देने के साथ उनके आवेदन संबंधितों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करने में सहायता करेंगे।

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा निःशक्तजनों को ट्रायसाइकिल, व्हीलचेयर, पशुपालन, आजीविका, महिला बाल विकास, .षि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के हितलाभ का वितरण करने के साथ बाल विवाह के विरूद्ध आवाज उठाकर विवाह रोकने वाली सादाब खान को सम्मानित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रजिस्ट्रार एचपी वंशकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य, हितग्राहियों की पात्रता एवं न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी। कलेक्टर लोकेश जाटव एवं एसपी एपी सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ एवं पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, प्रशासनिक जज, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र.रा.वि.से.प्रा., जबलपुर

नेशनल लोक अदालत 2015

प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष भी न्यायिक पर्व के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय मानिकराव खानविलकर, मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, प्रशासनिक न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष**, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में **दिनांक 12 दिसम्बर 2015 (शनिवार) को पूरे प्रदेश में** **नेशनल लोक अदालत** का आयोजन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की समस्त पीठों, समस्त जिला एवं तहसील स्तर के सभी प्रकार के न्यायालयों, अन्य न्यायिक अधिकरणों तथा समस्त शासकीय विभागों में खण्डपीठों का गठन कर किया गया।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया जिसका सीधा प्रसारण वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में किया गया और उसी समय उच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों/तहसील न्यायालयों तथा विभिन्न अधिकरणों में भी लोक अदालत का शुभारंग कर समस्त गठित लोक अदालत खण्डपीठों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिन भर लोक अदालत का कार्य अबाध गति से चलता रहा तथा पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिक से अधिक प्रकरणों में त्वरित निराकरण किया गया और लोक अदालत समापन पश्चात् देर रात तक लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के आकड़े प्रेषित किए गए।

दिनांक 12 दिसम्बर 2015 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित कुल **38,68,150** प्रस्तुत किए गये जिसमें से कुल **29,43,278** प्रकरणों का निराकरण किया गया और निराकृत प्रकरणों में **20,88,93,76,053/–** राशि रू0 के अवार्ड/वसूली के आदेश पारित किए गए तथा लगभग **1,02,14,293** व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।

नेशनल लोक अदालत 2015

रतलाम

लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पक्षकार के पास पहुंचे न्यायाधीश

रतलाम। आपसी विवाद के एक आपराधिक मामले में वृद्ध महिला खंडपीठ में आने में असमर्थ थी। इस पर वृद्धा से मिलने पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) राकेश जमरा न्यायालय से बाहर निकलकर वाहन में बैंठी महिला के पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या आपने राजीमर्जी से समझौता किया है। वृद्धा ने कहा हां। मामला यह है कि सुहागबाई पाटीदार (80) निवासी ग्राम मथुरी के साथ 12 जुलाई 2013 को आरोपी भेरूलाल व उसके पुत्र किशोर ने विवाद कर मारपीट की थी। सुहागबाई ने पुलिस में रिपोर्ट की थी। तभी से यह प्रकरण चल रहा है। लोक अदालत में सुहागबाई ने आरोपियों को माफ कर समझौता किया।

होशंगाबाद

लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

ग्वालियर

लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

विधिक साक्षरता शिविर

बुरहानपुर जिले में किन्नर समुदाय के कल्याणार्थ आयोजित शिविर

डिण्डौरी जिले में किन्नर समुदाय के कल्याणार्थ आयोजित शिविर

भोपाल जिले में किन्नर समुदाय के कल्याणार्थ आयोजित शिविर।

घरौंदा बाल गृह में बच्चों से रूबरू होते राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव श्री आनंद तिवारी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारीगण।

जिला मण्डला में मोबाइल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री आर.के. सिंह

वृद्धाश्रम महेश्वर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का दृश्य श्री एस.के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिला मण्डला में आयोजित मोबाइल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करते हुये न्यायाधीश।

जिला मण्डला में आयोजित मोबाइल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करते हुये न्यायाधीश।

मोबाइल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर

डिण्डौरी जिले में आयोजित मोबाइल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर

डिण्डौरी जिले में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर

जिला जेल छिंदवाड़ा में बंदियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोजित विधिक साक्षरता शिविर

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

बालाघाट– मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा.

छिंदवाड़ा – मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते श्री विमल कुमार जैन, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा.

बालाघाट जिले में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुये प्रतिभागीगण।

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुये श्री ए.के. पाण्डेय, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुये श्री राजेन्द्र महाजन जी, पोर्टफोलियो जज, जिला–सिहोर

कार्यशाला-जिला शहडोल

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना – 2015

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत आयोजित कार्यशाला के अवसर पर इस योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से लागू करने लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रद्युम्न सिंह ने प्रशासन से पूर्ण सहयोग किये जाने की अपेक्षा की। जिस पर श्री मुकेश शुक्ला, कलेक्टर शहडोल ने कहा कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों तक प्रतिकर पहुंचाना हमारी जबावदेही है, इस जबावदेही का निर्वहन प्रशासन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा है।

श्री कन्नौजिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने योजना पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इस योजना में न्यायाधीश की अनुशंसा पर अपराध पीड़ितों को प्रतिकर की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जीवन हानि होने पर 4 लाख रूपये तक कि राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। भ्रूण की हानि पर 50 हजार रूपये तथा निःशुल्क उपचार की सुविधा देने, शरीर में शत्–प्रतिशत् स्थाई निःशक्तता होने पर आय अर्जित करने वाले पीड़ित को 3 लाख रूपये तक की प्रतिकर राशि मुहैया कराने तथा शासकीय चिकित्सालय में उसका निःशुल्क उपचार कराने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शरीर में स्थाई निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर 2 लाख रूपये तक प्रतिकर की राशि मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आपराधिक प्रकरणों में महिला की प्रजनन क्षमता की स्थाई क्षति (बलात्कार को छोड़कर) अन्य आपराधिक घटनाओं में होने पर अधिकतम 1.50 लाख रूपये प्रतिकर की राशि देने का प्रावधान है तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार कराने का भी प्रावधान किया गया है। कार्यशाला का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित द्वारा किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित इस कार्यशाला में न्यायाधीश तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शहडोल ने प्रदान की ट्राइ साइकिल

शहडोल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में 16 दिसम्बर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रद्युम्न सिंह द्वारा निःशक्तजनों को ट्राइ साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री आर.एस. कन्नौजिया, न्यायाधीश श्री शरद कुमार लटोरिया, उपसंचालक सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण उपस्थित थे।

News Paper Clips

नईदुनिया 25 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में जस्टिस मेनन ने कहा

थर्ड जेंडर की समस्याओं पर ध्यान जरूरी

सभी अधिकार मिलेंगे

किन्नरों की मुख्य समस्याएं

मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव से होगी चर्चा

वे पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे : हीराबाई

दैनिक भास्कर 25 अगस्त 2015

...की बारिश में दुआओं का सिलसिल...

...जब पीड़ा गिनाई तो आंखें बरस पड़ीं, न्यायाधीशों के लिये निकलीं शुभकामनाएं

The Hitavada 25 August 2015

...PSLA, DLSA hold awareness camp for eunuchs

Administrative Judge of the MPHC and Executive Chairman Justice Rajendra Menon addressing the Legal Literacy and ...

स्वतंत्र मत 25 अगस्त 2015

जस्टिस मेनन ने समझा थर्ड जेण्डर का दर्द

आत्मीय माहौल में सुनाई समस्याएं, दुश्वारियां दूर करने जरूरी कदम उठाने दिलाया भरोसा

हक दिलाने होंगे ईमानदार प्रयास

वे पल हम कभी नहीं भूलेंगे: हीराबाई

पत्रिका 25 अगस्त 2015

किन्नरों ने जाने कानूनी अधिकार

हरिभूमि 25 अगस्त 2015

थर्ड जेंडर सदस्यों से रूबरू होकर सुनी उनकी समस्याएं जस्टिस मेनन सहित अन्य न्यायाधीशगणों ने

थर्ड जेण्डर की दुश्वारियां होंगी दूर

देशबन्धु 25 अगस्त 2015

किन्नरों की दुश्वारियां दूर करने सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे : जस्टिस मेनन

'थर्ड-जेण्डर' सदस्यों से रूबरू हुए न्यायाधीशगण